# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 37/2020 RCMS 2020/00070

**वादीगण :–**

1. गीता देवी पत्नी भागूराम जाति मेघवाल उम्र 52 वर्ष
2. रूघाराम पुत्र भागूराम जाति मेघवाल उम्र 33 वर्ष
3. सुरेश पुत्र भागुराम जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष निवासियान प्रेमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण** :–

1. भंवरी देवी पुत्री धनाराम
2. मधु देवी पुत्री धनाराम
3. फूली देवी पुत्री भागूराम
4. गोगा देवी पुत्री भागूराम
5. मंजू देवी पत्नी तेजाराम सभी जाति मेघवाल निवासियान प्रेमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. उप पंजीयक कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

**दावा बाबत इस्तकरार हक व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88,53 राज.काश्त.अधि.1955**

**उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।**

**श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रति. 1 से 5 की ओर से।**

**आदेश**

**दिनॉक:–** 31/8/2023

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 एक ही खानदान के सदस्य है व स्व. धनाराम जी के उत्तराधिकारी है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

धनाराम पुत्र पोकर

रूपाराम (पुत्र) (नाऔलाद फौत) | भागूराम (पुत्र) (फौत) | भंवरी (पुत्री) | मधु (पुत्री)

कमलादेवी (पत्नी फौत)

गीता (पत्नी) | रूघाराम (पुत्र) | सुरेश (पुत्र) | फूली (पुत्री) | गोगादेवी (पुत्री)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम प्रेमपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 192 रकबा 1.54 हैक्टर स्थित चली रही है जिसमें 1/2 हिस्सा की भूमि धना पुत्र पोकर जाति मेघवंशी के नाम से दर्ज चली आ रही है जो कि पिछले 50 वर्षो से लापता गुमशुदा हों गये तब से आज दिनॉक तक उनका कोई अता–पता नही है। उपरोक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार धना पुत्र पोकर के दो पुत्र सन्तान रूपाराम व भागूराम तथा दो पुत्रियॉ सन्तान भंवरी व मधु उत्पन्न हुई जिनमें से रूपाराम नाऔलाद फौत हो चुके है व भागूराम के वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 व 4 संताने व जीवित उत्तराधिकारी चले आ रहे है, उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि धन्नाराम के हिस्से है, धन्नाराम के लापता हो जाने पर पिछले 50–52 वर्षो से उनके जीवित होने की कोई किसी प्रकार की सूचना इत्यादि नही है न ही कभी वादीगण ने उनको देखा है न ही गांव के किसी व्यक्ति ने इनको देखा है। इस प्रकार उनके स्थान पर खातेदारी वादीगण के बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज की जावें जिसके वादीगण जरिये उतराधिकारी जन्म से By Birth अधिकारी है। उपरोक्त भूमि में स्व. धनाराम के हिस्से की भूमि पर जरिये उत्तराकिारी वादीगण काबिज खातेदार चले आ रहे है जिसकी खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है इसलिए खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा अभी कुछ दिनो से पटवारी हल्का को रिकार्ड दुरूस्ती बाबत कहा तो उन्होने बताया कि ऐसा न्यायालय आदेश से ही किया जा सकता है इसलिए बमुकाम ग्राम नारायणपुरा में पैदा हुआ। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम प्रेमपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 1.54 हैक्टर में धना पुत्र पोकर के 1/2 हिस्से के स्थान पर वादीगण बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत हुआ, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 एवं 7 बावजूद इतला अनुपस्ति रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इकबाली जवाब दिनॉक 3.12.2021 करे प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम प्रेमपुरा के खसरा नम्बर 192 रकबा 1.54 हैक्टर में से 1/2 हिस्से के स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार घोषित की डिक्री सादिर फरमाई जावे तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को किसी प्रकार का एतराज नही है। विशेष कथन में कहा है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एक ही खानदान के सदस्य है व धन्नाराम के उत्तराधिकारी वारिसान है धन्नाराम पिछले 50–60 वर्षो से लापता है जिसके जीवित होने की कोई सूचना नही है उक्त भूमि पर उनके भाई/पिता भागूराम रूपाराम का कब्जा चला आ रहा था रूपाराम नाऔलाद फौत हो गया तथा भागूराम के फौत हो जाने के पश्चात भाई/पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:26 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपरोक्त भूमि पर गीतादेवी पत्नी भागूराम, रूघाराम पत्रु भागूराम सुरेश पुत्र भागूराम खातेदारी घोषणा बहिस्सा बराबर–बराबर कर बंटवारा किये जाने का आदेश तहसीलदार कुचामन को प्रदान करावे तो इसमें उनकी पूर्ण सहमती है एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को किसी प्रकार उज्र ऐतराज नही है।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2075, ग्राम पंचायत प्रेमपुरा द्वारा जारी वारिश प्रमाण पत्र 05.09.2013 की छाया प्रति, आधार कार्ड छया प्रतियॉ सुरेश कुमार, फूलीदेवी, गोगादेवी, रूपाराम, गीतादेवी का प्रस्तुत, मृत्यु प्रमाण पत्रो की छाया प्रतियॉ कोयलीदेवी, रूपाराम, कमलादेवी, भागूराम के प्रस्तुत।

मौखिक साक्ष्य में वादी रूघाराम, गवाह गोरधनराम, गवाह कंवरीदेवी के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस दौरान वाद पत्र में अंकित अभिवचनो को दौहराया है तथा धना पुत्र पोकर के हक हिस्से की खातेदारी वादीगण के बहिस्सा बराबर–बराबर दज किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने उक्त वाद को स्वीकार करते हुए खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम प्रेमपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 192 रकबा 1.54 हैक्टर में निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

| | |
|---|---|
| ग्राम का नाम :- प्रेमपुरा | अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 ( वर्ष 2018 ) से स्थायी |
| पटवार हल्का :- शिव | भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार |
| भू.अभि.नि. :- चितावा | क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर |
| तहसील :- कुचामन | खाता संख्या नया :- 33 |
| जिला :- नागौर | खाता संख्या पुराना :- 36 |

काश्तकार का नामः-

1. गीतादेवी पत्नि भागुराम हिस्सा- 1/4 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
2. धन्ना पुत्र पोकर हिस्सा- 1/2 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
3. मंजूदेवी पत्नि तेजाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार,

| खसरा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि वर्गीकरण | | कृषक द्वारा संदत्त लगान | सिंचाई के साधन | अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 1.5400 | बारानी 2 | 1.5400 | 6.16 | | स्वीक्रत नामांतरकरण : 9 15/12/2021 शुद्धिपत्र | |
| कुल खसरे - 1 | 1.5400 | | 1.5400 | 6.1600 | | | |

उपरोक्त प्रकरण के विवेचन [illegible] है [illegible] धन्ना पुत्र पोकर मेघवाल को लापता एवं गुमशुदा बताया गया है । यदि ध[illegible] पु[illegible]पोकर मेघवाल लापता एवं गुमशुदा हुआ है तो उसकी कानून का[illegible] की [illegible] थी तथा उसकी एफ.आई.आर. इत्यादि की उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की [illegible]जानी चाहिए थी। परन्तु पक्षकारान ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:53:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी ( नागौर )

ऐसा नही कर केवल मात्र उसके लापता होने का वाद पत्र प्रस्तुत कर उसके हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाये जाने के वाद पत्र में कथन अंकित किये है। जबकि विधिक प्रक्रिया नियमो में स्पष्ट है कि ऐसा होने पर सक्षम न्यायालय में इसकी उदघोषणा कराकर आवश्यक प्रमाण–पत्र कर आगे की कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है। अतः वाद वादीगण साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य पाया गया, तथा पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वह इस सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सिविल समक्ष न्यायालय मे चाराजोही कर आवश्यक कार्यवाही करे।

**आदेश**

वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

नर्णय आज दिनॉक 31/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:26 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

**बइजलास : मनोज,( R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या :– 37/2020 RCMS 2020/00070

**वादीगण :–**

1. गीता देवी पत्नी भागूराम जाति मेघवाल उम्र 52 वर्ष
2. रूघाराम पुत्र भागूराम जाति मेघवाल उम्र 33 वर्ष
3. सुरेश पुत्र भागुराम जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष निवासियान प्रेमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण** :–

1. भंवरी देवी पुत्री धनाराम
2. मधु देवी पुत्री धनाराम
3. फूली देवी पुत्री भागूराम
4. गोगा देवी पुत्री भागूराम
5. मंजू देवी पत्नी तेजाराम सभी जाति मेघवाल निवासियान प्रेमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6. उप पंजीयक कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

**दावा बाबत इस्तकरार हक व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88,53 राज.काश्त.अधि.1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी ................. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री भीकमचन्द अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।**

निज ............................ मुबलिग ......... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ............. का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 8 .......... सन् 2023 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

दस्तखत
आहदा
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

| मुदई | रूपयें | पैसे | मुदायलय | रूपयें | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालात नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकिल | | |
| महन्ताना वकिल | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री ... लिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:26 IST
Reason: SelfAttested